

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2136
09.12.2024 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024

2136. श्री बस्तीपति नागराजू :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के तहत पंजीकृत उत्पादों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों (पीआईबीओ) की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्य-वार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के पीआईबीओ का ब्यौरा क्या है जो उक्त अवधि के दौरान अपनी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) को पूरा करने में विफल रहे हैं;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न और पुनर्चक्रित प्लास्टिक कचरे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार देश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का वैज्ञानिक मापन सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) क्या सरकार का प्रस्ताव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के तहत उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के संबंध में राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क): प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अक्टूबर, 2024 तक केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) की संख्या के आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार आंकड़े अनुबंध-I में दिए गए हैं।
- (ख): प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न (एआर) जमा नहीं किया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पंजीकृत पीआईबीओ की कुल संख्या	वित्त वर्ष 22-23 के लिए एआर दाखिल नहीं करने वाले पीआईबीओ की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एआर दाखिल न करने वाले पीआईबीओ की संख्या
निर्माता	4290	605	1943
आयातक	30533	2531	18356
ब्रांड के मालिक	2655	119	720
कुल	37478	3255	21019

आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): केंद्रीयकृत ईपीआर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक कुल 2,614 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पीडब्ल्यूपी) पंजीकृत किए गए हैं और वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 88.62 लाख टन ईपीआर प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बाद पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट और ईपीआर प्रमाण पत्रों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(घ) और (ड): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 201 (अ) के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायतों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए उत्पन्न हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के अनुमान सहित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में मात्रात्मक जानकारी प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के अनुपालन में, सीपीसीबी ने प्लास्टिक अपशिष्ट के आकलन और लक्षण वर्णन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है। मानक संचालन प्रक्रिया में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के आकलन और उसके लक्षण वर्णन के लिए कार्यप्रणाली शामिल है। मानक संचालन प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्लास्टिक अपशिष्ट डेटा के सत्यापन के लिए एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली भी शामिल है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को आवश्यक आकलन करने का निर्देश दें।

केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की संख्या
(अक्टूबर, 2024 तक)

पंजीकरण जारी करने वाले राज्य	ब्रांड के मालिक	आयातक	निर्माता	कुल योग
आंध्र प्रदेश	64	88	149	301
अरुणाचल प्रदेश		3		3
असम	19	48	85	152
बिहार	4	17	26	47
चंडीगढ़	1	6	4	11
छत्तीसगढ़	7	35	30	72
सीपीसीबी	1853	17418	18	19289
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	23	177	267	467
दिल्ली	15	1446	319	1780
गोवा	2	45	23	70
गुजरात	102	1957	667	2726
हरियाणा	8	341	91	440
हिमाचल प्रदेश	10	63	125	198
जम्मू और कश्मीर	9	40	86	135
झारखण्ड	1	58	3	62
कर्नाटक	107	474	311	892
केरल	27	130	117	274
मध्य प्रदेश	48	173	172	393
महाराष्ट्र	70	4471	522	5063
मणिपुर	0	2	0	2
मेघालय	3	4	2	9
मिजोरम	0	4	0	4
ओडिशा	4	47	11	62
पांडिचेरी	3	11	61	75
ਪंजाब	19	462	95	576
राजस्थान	29	294	202	525
तमिलनाडु	64	560	54	678
तेलंगाना	21	214	169	404
त्रिपुरा	1	12	3	16
उत्तर प्रदेश	29	597	206	832
उत्तराखण्ड	84	69	284	437
पश्चिम बंगाल	28	1267	188	1483
कुल योग	2655	30533	4290	37478

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न (एआर) जमा नहीं करने वाले पीआईबीओ की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार)

क. 2022-23

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या
आंध्र प्रदेश	88
असम	15
बिहार	14
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	13
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	36
दिल्ली	488
गोवा	9
गुजरात	337
हरियाणा	85
हिमाचल प्रदेश	11
जम्मू और कश्मीर	24
झारखण्ड	10
कर्नाटक	119
केरल	66
मध्य प्रदेश	39
महाराष्ट्र	1081
मेघालय	4
मिजोरम	1
ओडिशा	8
पांडिचेरी	3
पंजाब	35
राजस्थान	75
तमिलनाडु	98
तेलंगाना	55
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश	131
उत्तराखण्ड	85
पश्चिम बंगाल	316
कुल योग	3255

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न (एआर) जमा नहीं करने वाले पीआईबीओ की संख्या का राज्यवार ब्यौरा - जारी

(प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार)

ख. 2023-24

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
आंध्र प्रदेश	199
अरुणाचल प्रदेश	5
असम	119
बिहार	59
चंडीगढ़	28
छत्तीसगढ़	93
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	240
दिल्ली	2900
गोवा	67
गुजरात	2347
हरियाणा	1005
हिमाचल प्रदेश	157
जम्मू और कश्मीर	95
झारखण्ड	83
कर्नाटक	797
केरल	248
मध्य प्रदेश	406
महाराष्ट्र	6329
मणिपुर	4
मेघालय	9
मिजोरम	6
नगालैंड	2
ओडिशा	101
पांडिचेरी	43
पंजाब	757
राजस्थान	580
सिक्किम	1
तमिलनाडु	850
तेलंगाना	408
त्रिपुरा	13
उत्तर प्रदेश	1046
उत्तराखण्ड	209
पश्चिम बंगाल	1812
कुल योग	21019

उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बाद और पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2020-21 में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में)	वित्त वर्ष 2021-22 में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में)	वित्त वर्ष 2022-23 में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में)	तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्र (टन में)
1	आंध्र प्रदेश	39626.45	36620.101	64339.41	287562
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	492.342	688.025	744	उपलब्ध नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	3755.9	1693.65	1113.2	उपलब्ध नहीं
4	असम	58765	38388.5	30450	8165
5	बिहार	74263.689	53232.339	63361.56	128311
6	चंडीगढ़	13107.15	13107.15	12761.66	364
7	छत्तीसगढ़	47450	51100	21170	60204
8	दमन	4726	3954.82	14227.33	उपलब्ध नहीं
9	दिल्ली	345000	377596	403347.216	1046635
10	गोवा	29441	29440.9	29440.9	639
11	गुजरात	337693.96	313918.57	271574.6	726252
12	हरियाणा	185168	179406.47	129866.74	438552
13	हिमाचल प्रदेश	6206.782	9654.45	14093.574	170574
14	जम्मू और कश्मीर	51710.6	34384	30342	7364
15	झारखण्ड	20263.447	53432.966	71433.993	15458
16	केरल	120063.87	71000	71000	131632
17	कर्नाटक	368080	528031	360780.6	397231
18	लद्दाख	प्रस्तुत नहीं किया है	1915.05	860.5	उपलब्ध नहीं
19	लक्षद्वीप	523.54	279.09	1358	उपलब्ध नहीं
20	मध्य प्रदेश	138483.58	132955.4	182613.5	1012886
21	महाराष्ट्र	311254	292987	395759	795138
22	मणिपुर	10303	12500	12702	उपलब्ध नहीं
23	मेघालय	191 (सभी यूएलबी	जानकारी अपूर्ण	2223.6	उपलब्ध नहीं

		के लिए पूर्ण नहीं)			
24	मिजोरम	1514.51	2634.794	4835.21	उपलब्ध नहीं
25	नगालैंड	4785.94	92.84	342.89	उपलब्ध नहीं
26	ओडिशा	51269.9	40696.43	53795.336	186907
27	पंजाब	108332.06	94958.95	128744.64	186432
28	पांडिचेरी	12754	12775	31087	7045
29	राजस्थान	66324.57	72044.771	83242.74	752353
30	सिक्किम	82.75	104.74	84.64	उपलब्ध नहीं
31	तमिलनाडु	430107	397387.684	782560	397440
32	तेलंगाना	472675	494940	528520	617147
33	त्रिपुरा	61.65	169.63	347.291	उपलब्ध नहीं
34	उत्तराखण्ड	18647.75	44924.71	42276.7	218083
35	उत्तर प्रदेश	375950	375950	प्रस्तुत नहीं किया है	1120222
36	पश्चिम बंगाल	417925	128837.03	294789	73609
कुल		4126808.44	3901802.06	4136188.83	8862840